स्पीड पोस्ट

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. BL/26/2018/STGMP/DELAAL/RU-III   दिनांकः 14—02--2019

सिटिंग नोटिस

विषय :— ग्राम सतपाड़ा हाट के आदिवासियों के पट्टे की भूमि पर कल्लू खां पुत्र निरपत खां निवासी लखार द्वारा जबरन कब्ज़ा किये जाने, भूमि को हडपने एवं जान से मारने की धमकी देने बाबत श्री बाबू लाल पुत्र दुल्ली आदिवासी, ग्राम सतपाड़ाहाट, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा (म.प्र.) का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरणों में अन्वेषण करने का निर्णय लिया है।

2. सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग में दिनांक 28—02—2019 को 11.30 बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तद्नुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय उपाध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखे कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

O/C

14/2/2019

(डॉ. ललित लट्टा)
निदेशक

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव,
राजस्व विभाग, मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल (मध्य प्रदेश)

2. कलेक्टर,
जिला विदिशा,
(म.प्र.)

3. पुलिस अधीक्षक,
जिला विदिशा,
(म.प्र.)

2031-33
14/2/19
जारी किया
ISSUED

प्रतिलिपि प्रेषितः

श्री बाबू लाल पुत्र दुल्ली आदिवासी,
ग्राम सतपाड़ाहाट, तहसील शमशाबाद,
जिला विदिशा (म.प्र.)